न्यायालय उपजिलाधिकारी मछलीशहर, जौनपुर

T. 201414 36 0 21578

वाद सं0—   धारा—143 ज0वि0अ0

मौजा—बादशाहपुर, परगना—मुँगरा, मछलीशहर

जयबजरंग महिला महाविद्यालय— बनाम ग्रामसभा

आदेश

घनश्याम मिश्र प्रबन्धक जय बजरंग महिला महाविद्यालय बादशाहपुर परगना मुँगरा तहसील मछलीशहर ने वाद अन्तर्गत धारा 143 (ज0वि0अ0) इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी नं0 311/4/0.162, 311/5/0.049, 311/1/0.154, 351/0.146, 352/0.016 स्थित ग्राम बादशाहपुर परगना मुंगरा तहसील मछलीशहर विद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज है और पूर्ण रूप से आबादी दर्ज है। अन्त में उक्त क्षेत्रफल को आबादी घोषित किये जाने की मांग की है।

तहसीलदार से आख्या मंगायी गयी, हल्का लेखपाल, रा0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 28—04—2014 जिसे तहसीलदार ने अग्रसारित किया है, में उल्लिखित है कि उपरोक्त आराजी में मौके पर 20 कमरे बने है और शेष क्षेत्रफल मैदान के रूप में स्थित है। उक्त क्षेत्रफल में कोई कृषिक कार्य नहीं होता है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, मछलीशहर की रिपोर्ट के क्रम में आराजी नं0 311/4/0.162, 311/5/0.049, 311/1/0.154,351/0.146, 352/0.016 स्थित ग्राम बादशाहपुर अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बादशाहपुर, परगना मुँगरा तहसील मछलीशहर की वर्तमान उद्धरण खतौनी सन् 1420—1425 के खाता सं0 112 पर दर्ज आराजी नं0 311/4/0.162, 311/5/0.049, 311/1/0.154,351/0.146, 352/0.016 हे0 अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अमलदरामद हेतु तहसीलदार मछलीशहर को भेजी जाय एवं एक प्रति उपनिबन्धक (उप निबन्धन) मछलीशहर को प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

7/5/14
7/5/14
7/5/14

7.5.2014

(शिव सिंह)
उपजिलाधिकारी,
मछलीशहर, जौनपुर

7/5/14